

**रक्षा मंत्रालय**  
मांग संख्या 19

**रक्षा मंत्रालय**

क. वसूलियों और राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	246.77	246.77	...	463.86	463.86	...	450.53	450.53	
पूंजी	...	385.82	385.82	...	233.48	233.48	...	435.82	435.82	
जोड़	...	<b>632.59</b>	<b>632.59</b>	...	<b>697.34</b>	<b>697.34</b>	...	<b>886.35</b>	<b>886.35</b>	
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	433.93	433.93	...	455.01	455.01	...	473.95	473.95
2. रक्षा संपदा संगठन	2052	...	43.91	43.91	...	43.75	43.75	...	44.22	44.22
3. तट रक्षक संगठन	2037	...	292.00	292.00	...	270.00	270.00	...	283.00	283.00
	4047	...	350.00	350.00	...	200.00	200.00	...	400.00	400.00
	जोड़	...	642.00	642.00	...	470.00	470.00	...	683.00	683.00
<b>विविध सामान्य सेवाएं</b>										
4. कैंटीन स्टोर्स विभाग:										
4.01 राजस्व व्यय	2075	...	3889.69	3889.69	...	4139.69	4139.69	...	4796.85	4796.85
4.02 घटाइए प्राप्तियां	0075	...	-4427.51	-4427.51	...	-4459.34	-4459.34	...	-5162.01	-5162.01
4.03 निवल व्यय		...	-537.82	-537.82	...	-319.65	-319.65	...	-365.16	-365.16
4.04 पूंजीगत व्यय	4075	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
	जोड़	...	-522.82	-522.82	...	-304.65	-304.65	...	-350.16	-350.16
<b>आवास</b>										
5. सी.एस.डी. कर्मचारियों को रिहायशी आवास सुविधाएं	4216	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30
6. रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों को रिहायशी आवास सुविधाएं	4216	...	6.79	6.79	...	4.45	4.45	...	6.79	6.79
7. रक्षा संपदा संगठन के कर्मचारियों को रिहायशी आवास सुविधाएं	4216	...	3.16	3.16	...	3.16	3.16	...	3.16	3.16
8. रक्षा लेखा की रिहायशी इमारतों का रखरखाव तथा मरम्मत	2216	...	7.15	7.15	...	7.15	7.15	...	7.15	7.15
<b>जोड़ - आवास</b>		...	<b>18.40</b>	<b>18.40</b>	...	<b>16.06</b>	<b>16.06</b>	...	<b>18.40</b>	<b>18.40</b>
9. लोक निर्माण कार्य										
9.01 रक्षा लेखा विभाग की इमारतों का रखरखाव और मरम्मत	2059	...	5.26	5.26	...	5.26	5.26	...	5.26	5.26
9.02 रक्षा लेखा विभाग-अन्य इमारतों के निर्माण के लिए पूंजीगत परिव्यय	4059	...	4.31	4.31	...	4.31	4.31	...	4.31	4.31
9.03 रक्षा संपदा संगठन अन्य इमारतों का निर्माण	4059	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
	जोड़	...	12.57	12.57	...	12.57	12.57	...	12.57	12.57
10. ब्याज संबंधी आर्थिक राजसहायता										
10.01 मजगांव डॉक लि.	2852	...	0.87	0.87	...	0.87	0.87	...	0.60	0.60
10.02 मिश्रा धातु निगम लि.	2852	...	0.08	0.08	...	0.08	0.08	...	0.09	0.09
	जोड़	...	0.95	0.95	...	0.95	0.95	...	0.69	0.69
11. अन्य व्यय										
11.01 मुख्य क्रय निदेशालय के कार्यालय का स्थापना व्यय	2408	...	1.39	1.39	...	1.39	1.39	...	1.42	1.42
11.02 विविध ऋण	7615	...	2.26	2.26	...	2.26	2.26	...	2.26	2.26
	जोड़	...	3.65	3.65	...	3.65	3.65	...	3.68	3.68
<b>कुल जोड़</b>		...	<b>632.59</b>	<b>632.59</b>	...	<b>697.34</b>	<b>697.34</b>	...	<b>886.35</b>	<b>886.35</b>

1. यह प्रावधान रक्षा सचिवालय (डीओडी, डीपीएंडएस, डीआरएंडडी एवं वित्त प्रभाग) तथा रक्षा लेखा विभाग के व्यय के लिए किया गया है।

2. यह प्रावधान रक्षा संपदा संगठन के व्यय के लिए है जिसके मुख्य कार्य छावनी बोर्डों का प्रशासन, छावनियों के भीतर तथा बाहर रक्षा भूमियों का प्रबंधन, रक्षा प्रयोजनों के लिए अचल सम्पत्तियों की मांग करना तथा उन्हें किराए पर लेना इत्यादि हैं।

3. यह प्रावधान तट रक्षक संगठन के व्यय के लिए है जिसमें जहाजों, समुद्री बेड़ों, वायुयान के अर्जन और प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए प्रावधान भी शामिल है।

4. कैंटीन स्टोर्स विभाग मंत्रालय का एक विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम है। यह समूचे भारत में रक्षा सेवाओं के सदस्यों को उचित और किफायती दरों पर घरेलू वस्तुएं तथा दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। इस शीर्ष के अन्तर्गत किया गया प्रावधान निवल कार्यचालन व्यय (प्राप्तियां सकल व्यय से अधिक हैं) के लिए है। वर्ष 2004-2005 के बजट में व्यय में वृद्धि के लिए किया गया प्रावधान लेन देन में सामान्य वृद्धि होने के कारण है।

5, 6, 7, और 8, यह प्रावधान कैंटीन स्टोर्स विभाग, रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए रिहायशी आवास सुविधाओं के लिए किया गया है। वर्ष 2004-2005 के बजट में यह प्रावधान कार्य की गति पर तथा रक्षा लेखा विभाग के संबंध में तैयार निर्मित आवासीय तथा गैर-आवासीय इमारतों की खरीद तथा उनके रखरखाव के लिए मौजूदा प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण पर आधारित है।

9. यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग के कार्यालय भवनों की मरम्मत, रखरखाव संबंधी व्यय और रक्षा लेखा विभाग तथा रक्षा संपदा संगठन के लिए कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु किया गया है।

10. यह प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (पीएसयू) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए ब्याज संबंधी राज सहायता के लिए है।

11. अन्य व्यय : इसमें मुख्यतः मंत्रालय से संबंधित कुछ मदों को शामिल किया गया है जैसे कि सेना क्रय संगठन के अधीन मुख्य क्रय निदेशालय की स्थापना और कैंटीन स्टोर विभाग की यूनिट चालित कैंटीनों के लिए ऋण आदि।